GSTIN-09AAACU5088M4ZM

विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर
लखनऊ–226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

पत्रांकः 3120 /विसेआ/1–2017

दिनांकःसितम्बर 01 ,2018

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
1.हिन्दुस्तान, लखनऊ संस्करण (यथारूप में)।
2.अमर उजाला, लखनऊ, मेरठ एवं आगरा संस्करण (यथारूप में)।
3.आज, वाराणसी संस्करण (यथारूप में)।
4.दैनिक जागरण, लखनऊ, कानपुर एवं गोरखपुर संस्करण (यथारूप में)।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार में दिनांक **03.09.2018** के अंक में **"यथा प्रारूप में"** हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8–10 प्वाइंट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6–8 प्वाइंट टाइप में यथा प्रारुप में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। निर्धारित प्रकाशन तिथि के बाद बिना पूर्व लिखित अनुमोदन के विज्ञापन को प्रकाशित न करें।

2. स्थानीय प्रकृति की सूचनायें जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा–सम्भव समाचार के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

3. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियॉ संलग्न करते हुये भुगतान हेतु अनुसचिव (जन सम्पर्क), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।

4. **<u>विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन पेपर का एक सम्पूर्ण पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दिया जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।</u>**

5. यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।

6. विज्ञापन के अन्त में सबसे छोटे टाइप में **<u>"राष्ट्रहित में बिजली बचाएँ"</u>** का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।

7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

<u>संलग्नकः विज्ञापन सामग्री।</u>

भवदीय

अध्यक्ष
विद्युत सेवा आयोग

अध्यक्ष
विद्युत सेवा आयोग

<u>पत्रांकः 3120 /विसेआ/1–2017 तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपिः

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव–द्वितीय/तृतीय (अरा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेव), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. अनुसचिव (विज्ञापन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, कं0नं0 224, द्वितीय तल, शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ।
5. कार्यालय अधीक्षक–प्रथम, परीक्षा अनुभाग, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड,

<u>संलग्नकःविज्ञापन सामग्री।</u>

भवदीय

अध्यक्ष
विद्युत सेवा आयोग

विज्ञापन सामग्री

विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं0 01/VSA/2017(Revised), 03/VSA/2017 तथा 05/VSA/2017 के विरूद्ध कमशः स्टेनोग्राफर– तृतीय, कार्यालय सहायक–तृतीय(लेखा0) एंव अवर अभियन्ता–(विद्युत) के पद पर भर्ती हेतु परीक्षाऐं दिनांक 27 एवं 28 अगस्त, 2018 को सम्पादित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा की **आन्सर–की/रिस्पांस–की** कारपोरेशन की अधिकारिक वेबसाइट **www.uppcl.org** पर 31.08.2018 को आपत्ति आमंत्रित करने हेतु अनन्तिम रूप से अपलोड कर दी गई है। **आन्सर–की/रिस्पांस–की** के विरुद्ध आपत्ति दिनांक 05.09.2018 को 15:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी। उसके बाद सभी आपत्तियों को संकलित कर विषय–विशेषज्ञ की टीम द्वारा परीक्षण कराने के बाद अंको का आगणन किया जाएगा।

अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग

कृपया उक्त बाक्स के अन्दर का ही मैटर छापें।

पत्रांकः 3120/विसेआ/1–2017 दिनांक : सितम्बर 01 ,2018

अध्यक्ष
विद्युत सेवा आयोग